प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.08.2026

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 30.08.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 01. टिंकू पुत्र मुकेश निवासी गांव भगौट थाना चांदीनगर, जिला बागपत उम्र करीब 20 वर्ष 02. सूरज पुत्र रामअवतार निवासी गलीनं0- 23 ब्लॉक- बी/2, हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष को निस्तोली रोड से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके संबंध में थाना सीमापुरी दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है । उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम नशे के आदी हैं । नशे की पूर्ति के लिए हमने यह मोटरसाइकिल थाना सीमापुरी क्षेत्र दिल्ली से चोरी की थी । हम इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. टिंकू पुत्र मुकेश निवासी गांव भगौट थाना चांदीनगर, जिला बागपत उम्र करीब 20 वर्ष ।
02. सूरज पुत्र रामअवतार निवासी गलीनं0- 23 ब्लॉक- बी/2, हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास:-

उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में थाना सीमापुरी दिल्ली पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना टीलामोड़ पर पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 30.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. टिल्लू 2. अमन 3. शरीफ 4. सारिक द्वारा वादिया के बेटे नदीम के साथ धारदार हथियार से वार करना, गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर धारा- 115(2)/ 352/ 351(3)/ 118(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा- 109(1)/ 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 31.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सारिक पुत्र इसरार निवासी आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि नदीम की मेरे दोस्त टिल्लू से कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी। मैंने, टिल्लू और हमारे दोस्तों मिलकर नदीम के साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी तथा टिल्लू ने नदीम को चाकू मार दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सारिक पुत्र इसरार निवासी आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 30.08.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्तगण 1. इमरान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ईदगाह बस्ती चौकी चामुण्डा थाना मुरादनगर गाजियाबाद हाल पता गली न0 09 सीएनजी पेट्रोल पम्प के पास थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 2. रिहान पुत्र नौशाद निवासी चमड़ा पेठ थाना लोहियानगर जनपद मेरठ हाल पता गली न0 09 सीएनजी पेट्रोल पम्प के पास थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुसंगत धारा 3/25/9 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम यह तमंचा लोगों में अपना रौब दिखाने के उद्देश्य से अपने पास रखते हैं। हम यह तमंचा लेकर बाहर निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. इमरान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ईदगाह बस्ती चौकी चामुण्डा थाना मुरादनगर गाजियाबाद हाल पता गली न0 09 सीएनजी पेट्रोल पम्प के पास थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
2. रिहान पुत्र नौशाद निवासी चमड़ा पेठ थाना लोहियानगर जनपद मेरठ हाल पता गली न0 09 सीएनजी पेट्रोल पम्प के पास थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर एक अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये तथा दूसरे अपराधी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री विवेक रंजन राय तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कविनगर द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-364/302/394/411 भादवि में अभियुक्तगण 1- अजयराज सांगवान उर्फ राजा उर्फ गौरव उर्फ डॉन पुत्र हरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम कलंजरी थाना जानी जनपद मेरठ 2- संदीप पुत्र जीतपाल ठाकुर निवासी ग्राम ऊंचा गांव थाना धौलाना जनपद हापुड को, मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 31.08.2026 को अभियुक्त अजयराज सांगवान पुत्र हरेन्द्र कुमार को धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 364 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 394 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अभियुक्त संदीप पुत्र जीतपाल ठाकुर को धारा 411 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता व उनके गाडी चालक की गोली मारकर हत्या कर लाशों को जंगल में फेंककर गाडी ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2009 को थाना कविनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री अखिलेश कुमार वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**म0मु0आ0 रंजीत कौर** पैरोकार थाना कविनगर